



● बीआरकेजीबी शैक्षणिक ऋण योजना

| | | |
|----|-------------------|--|
| 1 | योजना का उद्देश्य | गरीब एवं जरूरतमंद गुणसम्पन्न विद्यार्थियों को मूल शिक्षा उच्च/प्रोफेशनल/तकनीकी शिक्षा के लिये, आसान शर्तों पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना |
| 2 | ऋण सीमा | निम्न मार्जिन एवं सीमा के अन्तर्गत विद्यार्थियों/अभिभावकों की पुनर्भुगतान क्षमता के आधार पर जरूरत आधारित वित्त (Need based Finance) भारत में शिक्षा – अधिकतम ₹10.00 लाख विदेशों में शिक्षा – अधिकतम ₹20.00 लाख |
| 3. | मार्जिन | ₹ 4.00 लाख तक – शून्य ₹ 4.00 लाख से अधिक भारत में शिक्षा – 5 प्रतिशत विदेशों में शिक्षा – 15 प्रतिशत |
| 4 | प्रतिभूति | ₹ 4.00 लाख तक – शून्य ₹ 4.00 लाख से ₹ 7.50 लाख तक – अभिभावक के सहऋणी बनने के साथ साथ तृतीय पक्ष की व्यक्तिगत जमानत। ₹ 7.50 लाख से अधिक हेतु – अभिभावक के सहऋणी बनने के साथ साथ बैंक को स्वीकार्य उचित मूल्य की सम्पार्श्विक प्रतिभूति। |
| 5 | ब्याज दर | समय समय पर बैंक द्वारा जारी परिपत्रानुसार लागू होगी। |
| 6 | पुनर्भुगतान | पुनर्भुगतान होलीडे/ मोरेटोरियम: कोर्स अवधि + 1 वर्ष या जॉब मिलने के 6 माह बाद, जो भी पहले हो. ऋण का पुनर्भुगतान प्रारम्भ होने के बाद 10 से 15 वर्षों में चुकाया जायेगा। |
| 7 | सेवा प्रभार | समय समय पर बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार। |